लिफ्ट परियोजना, बकहर बेलन डाइवर्शन, बाणसागर, शारदा नहर परियोजना आदि है। यही नहीं, डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत बहुत सी सिंचाई की योजनाएं बनी थीं, जिनमें 34 बंधियां निर्मित भी हो गई हैं, परन्तु धनाभाव के कारण मांड एरिया नहीं सृजित किया जा रहा है। आश्चर्य यह है कि उपर्युक्त कुछ परियोजनाओं पर 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो चुकी है, किन्तु उनके कार्य भी धनाभाव के कारण बन्द हो गए हैं।

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनाभाव के कारण आई रुकावट को तत्काल समाप्त किया जाए, जिससे सर्वदा सूखे और बाढ़ से प्रभावित होने वाले जनपद का विकास हो जाए।

(x) Need for financial assistance and employment to people of Ghazipur of in view of famine and floods in recent years

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर का जिला बहुत ही पिछड़ा है। वहां की जनसंख्या का 90 प्रतिशत भाग खेती पर आधारित है। भूमिहीन, सीमान्त तथा लघु कृषकों की संख्या 75 प्रतिशत से ऊपर है। इस वर्ष यह जिला अकाल और बाढ़ की चपेट में रहा। ये प्राकृतिक विपदाएं पिछले पांच वर्षों से लगातार आ रही हैं। सन् 1978 में भयंकर बाढ़ आई थी। सन् 1979-80 के देश-व्यापी अकाल में भी यह जिला प्रभावित हुआ। सन् 1982 में पुन: बहुत बड़ी बाढ़ आई और इस वर्ष अकाल और बाढ़ दोनों ही।

ऐसी दशा में वहां के लोगों की आर्थिक कमर ही टूट गई है। अभी मैं वहां से लौटा हूं और वहां मैंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। लोगों का रोजी-रोटी चलना मुश्किल हो रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कुछ काम हो रहा है, लेकिन बेरोजगारों की एक बड़ी फौज को देखते हुए ये काम भी बहुत कम हैं—विशेषकर ऐसे समय में, जबकि खरीफ की फसल नहीं के बराबर हुई है और रबी की फसल भी अच्छी होने की संभावना नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां की विकट स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक धन गाजीपुर को दिया जाए, ताकि वहां रोजगार-परक योजनाओं पर काम शुरू हो। इस मामले में बहुत ही शीघ्रता किए जाने की आवश्यकता है, नहीं तो वहां के लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हो जाएंगे।

MR. CHAIRMAN : Now we come to items 15 and 16. They may be discussed together. Shri Krishna Kumar Goyal may move the Resolution.

---

13 30 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF TEA (AMENDMENT) ORDINANCE AND TEA (AMENDMENT) BILL

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL (Kota) : I beg to move :

> "This House disapproves of the Tea (Amendment) ordinance, 1983 (Ordinance No. 7 of 1983) promulgated by the Presidenton the 7th October, 1983."

सभापति महोदय, जहां तक अध्यादेश की भावना का सवाल है मैं किसी सीमा तक उस भावना को स्वीकार करने को तैयार हूं परन्तु जिस प्रकार से बार-बार इस सदन के माध्यम से सरकार की ताड़ना की गई है कि जब सरकार यह समझती है कि किसी भी वस्तु के लिए कानून बनाना आवश्यक है और उसके लिए विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है तो सरकार को विधेयक का ही सहारा लेना चाहिए, अध्यादेश का सहारा नहीं लेना चाहिए और इस आधार पर ही मैं यह कहना चाहता हूं कि चाय कानून में संशोधन के लिए जो अध्यादेश निकाला गया, जैसा कि सरकार ने अपना स्टेटमेंट दिया उससे पता लगता है कि 10 अक्तूबर, 1983 को जो बीमार चाय बागान थे जिनका मैनेजमेंट सरकार ने अपने हाथ में